



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़

E-mail - pdpwidth@rediffmail.com

पत्रांक / 22 याता

दिनांक / 02 / 2026

विषय:—जनपद—पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819है0 सिविल एवं वन पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।


प्रपोजल नं०:— FP/UK/ROAD/8930/2014


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7, 8 एवं 9 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

शर्त संख्या 7 :- प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा, की शर्त मान्य है।

शर्त संख्या 8 :- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, की शर्त मान्य है।

शर्त संख्या 9 :- उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी, की शर्त मान्य है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पिथौरागढ़।



भाष / फ़ैक्स नं० 05964-225115

E-mail - pdpwpdpth@rediffmail.com

पत्रांक 306 / 22/2/18

दिनांक : 3 / 02 / 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


विषय : पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में, प्रपोजल नं० : FP/UK/ROAD/8930/2014

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद पिथौरागढ़ में नाघर कुमलता से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के औपचारिक आदेश दिनांक 30.03.2015 की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराते हुए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 एवं 9 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः वाछित प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



सामान्य
हू० आ० का० करे

प० व० अ०

दिनांकित -

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

पिथौरागढ़
02/02/2026

पत्रांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक: 5948 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 6/3 फ़रवरी, 2026।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में नाघर-कुमल्टा से गंगासेरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.819 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/8930/2014)।

संदर्भ:- उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं० 1657/X-3-25/01(74)/2015-E-90887 दिनांक 25.08.2025 व कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक संख्या 559/12-1 दिनांक 11 अगस्त, 2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपनी पत्र सं० 306/22याता दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में निर्गत शैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० 07 व 09 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये हैं, जो कि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं। प्रकरण में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 5948 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

OLC